संख्या- 65/2018/2516/33-3-2018-112/2017 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2018**

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद स्तर पर आई.ई.सी. मद में प्रावधानित धनराशि के व्यय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में जनपदों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप तीव्र गति से शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। निर्मित शौचालयों का प्रयोग सुनिश्चित करने एवं स्वच्छता के प्रति लोगों में व्यवहार परिवर्तन करना इस कार्यक्रम की मूल भावना है। आप अवगत है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपदों को प्रेषित धनराशि में से 4.5 प्रतिशत धनराशि आई.ई.सी. मद में व्यय किये जाने का प्रावधान है, किन्तु समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत बहुत कम है।

उपरोक्त के संबंध में निम्नवत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

(1) जनपद में कार्यरत स्वच्छाग्रहियों का भुगतान प्रत्येक 15 दिन के रोस्टर पर निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात् करायें।

(2) आई.ई.सी. मद में व्यय की गयी धनराशि की ऑनलाईन फीडिंग मंत्रालय की वेबसाईट पर अविलम्ब करायें।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की जनपद की वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप ओ.डी.एफ. वार रूम, स्वच्छता वाहनों, नुक्कड नाटक, स्वच्छता रथ, रेडियों जिंगल, कठपुतली शो, होर्डिंग्स,

http://shasnadeshup.nic.in

बैनर, दीवाल लेखन, दीवाल चित्रण, स्वच्छता रैली, विभिन्न स्वच्छता प्रतियोगितायें, ग्राम व विकास खण्ड एवं जनपद स्तरीय गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि करायें।

(4) ग्राम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन कराना।

(5) स्वच्छाग्रहियों की साप्ताहिक अथवा पाक्षिक समीक्षा किया जाना।

(6) ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समितियों कों सक्रिय बनाये रखने हेतु उन्हें टार्च, सीटी, जैकेट, पहचान-पत्र इत्यादि उपलब्ध करायें तथा साप्ताहिक अथवा पाक्षिक समीक्षा की जाय।

(7) ग्रामों को वास्तविक रूप से खुले में शौच मुक्त करने तथा इसे इसी रूप में बनाये रखने के लिए रोस्टर बनाकर नियमित रूप से ट्रिगरिंग/जागरूकता अभियान करायें।

(8) जनपद में स्वच्छता कार्यक्रमों में स्वत: रूचि लेकर योगदान करने वाले स्वच्छता चैम्पियन्स की पहचान कर उन्हें सम्मानित करायें।

(9) स्वच्छता की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों में अन्तर ग्राम एक्पोजर विजिट का आयोजन करायें।

(10) शौचालय निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के लिये शौचालय के मानक एवं तकनीकी डिजायन संबंधी जानकारी का साहित्य छपवा कर वितरित करायें।

(11) जनपद स्तर पर संचालित फेसबुक, टिवट्र, व्हॉटसएप एकाउंटस का नियमित संचालन।

(12) वर्तमान में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 दिनांक 01 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक संचालित होना है। उक्त का प्रचार-प्रसार किये जाने से ग्रामों की स्थिति में सुधार होगा एवं आपके ग्राम सर्वेक्षण में विजेता बन सकते हैं।

उपरोक्तानुसार आई.ई.सी. संबंधित गतिविधियॉ प्रभावी रूप से संचालित किये जाने से निर्मित कराये जा रहे शौचालयों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आई.ई.सी. गतिविधियों में व्यय की जाने वाली धनराशि का दुरूपयोग किसी भी दशा में न होने पाये। जनपद में प्राविधानित आई.ई.सी. मद की धनराशि का सदुपयोग करते हु ये व्यय कराया जाना सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त उप निदेशक (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in